UPBL010057972018

न्यायालय **Additional District and Sessions Judge - 1, Ballia**

पीठासीन अधिकारी- (Sri Punit Kumar Gupta), (उच्चतर न्यायिक सेवा) - **UP06114**

Misc. Civil Appeal old/214/2018

1- रामचन्दर उम्र 72 वर्ष पुत्र-स्व० नन्हकू राम (मृतक दौरान मुकदमा)

1/1 ददन राम उम्र 53 वर्ष पुत्र स्व० रामचन्द्र

2- भरत राम उम्र 33 वर्ष पुत्र स्व० बुद्धुराम

3- लल्लन राम उम्र 45 वर्ष पुत्र-रामचन्दर राम (खुद व वारीस अपीलाण्ट सं०-1)

साकिनान-परसिया खुर्द परगना-कोपाचीट शर्की जिला-बलिया।

.....अपीलार्थीगण

<u>बनाम</u>

1- जनार्दन राम उम्र तख 0- 53 वर्ष पुत्र श्रीराम

2- अमरनाथ उम्र तख 0- 52 वर्ष

3- ओमप्रकाश उम्र तख 0-42 वर्ष

4- जीतन उम्र तख 0-56 वर्ष } पुत्रगण- दूधनाथ

5- प्रेमशंकर उर्फ छोटक उम्र तख 0- 35 वर्ष

6- सच्चितानंद उम्र तख 0- 45 वर्ष

7- कलावती देवी उम्र तख० 60 वर्ष स्त्री स्व० मोतीचंद

8- रविन्द्र राजभर उम्र तख 0 42 वर्ष

9- कमलेश राजभर उम्र तख 0-35 वर्ष } पुत्रगण- स्व० मोतीचंद

10- जितेन्द्र राजभर उम्र तख 0- 30 वर्ष

11- विमलेश राजभर उम्र तख 0- 27 वर्ष

12- मीना देवी उम्र तख 0- 39 वर्ष वर्ष

13- आशा देवी उम्र तख 0-25 वर्ष } पुत्रीगण - स्व० मोतीचंद

14- बृजबिहारी उम्र तख 0-50 वर्ष पुत्र- कुलदीप

15- कुलदीप उम्र तख 0-72 वर्ष पुत्र- फागु

साकिनान- परसिया खुर्द परगना कोपाचीट शर्की जिला- बलिया

.....रेस्पान्डेन्टियान/विपक्षीगण

<u>निर्णय</u>

1- अपीलार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील, मूल वाद सं-543/11 रामचन्दर बनाम जनार्दन वगैरह, न्यायालय एफ०टी०सी०(सी०डि०) बलिया द्वारा पारित आदेश दिनांक-02.08.2018 के विरूद्ध योजित की गयी है।

Digitally signed by PUNIT KUMAR GUPTA
Date: 2026.07.04 16:42:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

2– प्रार्थना पत्र 6 ग 2 मय शपथ पत्र 7 ग 2 अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने के सम्बन्ध में वादी की ओर से दिया गया है।

3– वादी द्वारा प्रार्थनापत्र 6 ग 2 प्रस्तुत कर संक्षेप में कथन किया गया है कि वादीगण शांति प्रिय नागरिक हैं जबकि प्रतिवादीगण सरकस सीनाजोर किस्म के है तथा रास्ता विवादित जैसाकि वादपत्र में वर्णित है, उपयोग आवागमन में करते हैं। इन लोगों का गांव जवार में एक नाजायज गोल कायम है जिसके योम पर प्रतिवादीगण विवादित मकान नि०अं० 1–2–3–4–1 व नि०अं० 5–6–7–8–5 नक्शा वाद पत्र को कब्जा करने व उससे वेदखल करने व उसको ध्वस्त करने व उसमें निर्माण करने व रास्ता नि०अं०–क,ख,ग,घ,ड़,च, को अवरूद्ध करने व उसमें अवैध रूप से निर्माण करके रास्ता के वजूद को समाप्त करने व रास्ता के मिट्टी को काटने की नाजायज धमकी दिनांक–23.07.2011 को दिये और उक्त नाजायज कार्य करने पर आमादा हो गये जिसका रोकछेक हम वादीगण ने किया परंतु प्रतिवादीगण नहीं माने और झगड़ा फासाद पर आमादा हो गये, लोगों के समझाने बुझाने पर किसी प्रकार मामला शांत हुआ परंतु प्रतिवादीगण उक्त नाजायज कार्य करने की धमकी देते हुए चले गये, इस प्रकार हम वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है तथा सुविधा की तुला भी हम वादीगण के पक्ष में है। हुक्म इम्तनाई के जारी होने से प्रतिवादीगण का कोई नुकसान नहीं है जबकि इसके जारी न होने से हम वादीगण की अपूर्तनीय क्षति है इसलिए वजरिए हुक्म इम्तनाई प्रतिवादीगण को मना किया जावे कि वे लोग हम वादी सं०–1 व 2 के मकान मय सहन नि०अं०–1–2–3–4–1 व नि०अं० 5–6–7–8–5 मकानमय सहन नक्शा वादपत्र जो मौजा परसिया खुर्द परगना कोपाचीट शर्की जिला बलिया में स्थिति है, मकान मय सहन नक्शा वादपत्र को न तो कब्जा करें और न उससे बेदखल करें और न उसको ध्वस्त करें और न उसमें तोड़–फोड़ करें और न उसमें किसी प्रकार का निर्माण करें और विवादित रास्ता नि०अं०–क,ख,ग,घ,ड़,च से मिट्टी काटें और न उसमें निर्माण करें और न उसमें अवरोध पैदा करें और न उसमें कोई कार्य ऐसा करें जिससे आवागमन हम वादीगण में कोई व्यवधान उत्पन्न होवे।

4– विद्वान अवर न्यायालय ने वादी को एकपक्षीय रूप से सुनकर आदेश दिनांक 02.08.2018 के माध्यम से यह आदेश पारित किया गया कि– ***"प्रार्थना पत्र 6 ग 2 वादपत्र में वर्णित मकान मय सहन वादीगण के संबंध में स्वीकार किया जाता है तथा विवादित सार्वजनिक रास्ते के संबंध में अस्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को दौरान मुकदमा के लिए निषेधित किया जाता है कि वह वादीगण के मकान मय सहन में वादीगण के कब्जे व दखल में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।***

वादीगण को आदेशित किया जाता है कि प्रस्तुत प्रकरण में भूमि प्रबंधक समिति तथा उ०प्र० सरकार को वादपत्र में संयोजित करने के संबंध में आवश्यक संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।"

5– विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित खारिजी आदेश दिनांकित–02.08.2018 से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील योजित की गई है।

6– अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील प्रस्तुत कर संक्षेप में कथन किया है कि प्रश्नगत आदेश अदालत मातहत ने बिल्कुल गलत खिलाफ असलियत खिलाफ कानून के हैं। अदालत मातहत ने जुडिशियल माइन्ड का उपयोग न करके सख्त कानूनी गलती किया है। अदालत मातहत ने पत्रावली में दाखिल अभिलेखों का सही ढंग से परिशीलन न करके प्रश्नगत आदेश पारित करने में सख्त कानूनी गलती किया है। मामला असलियत यह है कि नक्शा वाद पत्र में नि० अंक– 1–2–3–4–1

दक्षिण रुखा मकान मौरूसी हम अपीलान्ट नं०–1 रामचन्द्र की कायम रहती चली आ रही है व है। तथा बैठका को नक्शा वाद पत्र में नि० अंक– 14–15–18–17–14 से दर्शाया गया है जिसके जानीव पूरब व उत्तर हम अपीलान्ट नं०–1 का सहन कायम रहता चला आ रहा है व है इसके अलावे दूसरा बैठका जिसको नक्शा वाद पत्र में नि०अंक–27–28–29–30–27 से दर्शाया गया है, कायम रहता चला आ रहा है तथा बुद्धराम के बैठका सहन नि० अंक–9–10–11 नक्शा वाद पत्र लाइन के दक्षिण हम अपीलान्ट नं०–1 का सहन है। नक्शा वाद पत्र में निशानी अंक–5–6–7–8–5 मकान मौरूसी हम अपीलान्ट नं०–2,3 की दक्षिण रुखा कायम रहती चली आ रही है व है तथा नक्शा वाद पत्र में नि० अंक–9–10–14–15–9 बैठका हम अपीलान्ट नं०– 2,3 का रहता चला आ रहा व है तथा उसके पूरब हम हम अपीलान्ट नं०– 2,3 का सहन कायम है। नक्शा वाद पत्र में नि० अंक– 1–2–3–4–1 मकान व नि० अंक–5–6–7–8–5 मकान आ० नं०–208 रकबा 0.0360 हे0 मौजा परसिया खुर्द परगना कोपाचीट शर्की जिला–बलिया में स्थित है और उक्त आ० नं०–208 सरकारी अभिलेख में आबादी दर्ज है और हम अपीलान्ट नं०– 2.3 जाति के चामार है तथा उक्त आबादी के आराजी में अन्य लोगो के भी मकानात कायम है। हम अपीलान्ट नं०–2,3 मोरिस के समय से रास्ता निशानी अक्षर क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ से आवागमन करते चले आ रहे हैं व है। तथा रास्ता निशानी अक्षर क, ख, ग, घ, ङ, च 10 कड़ी चौड़ा है। रेसपांडेन्ट नं0–2, 3, 4, 5 अमरनाथ, ओम प्रकाश, जीतन, प्रेमशंकर उर्फ छोटक के मकान मय सहन को नक्शा वाद पत्र में निशानी अंक– 19–20–21–22–19 से दर्शाया गया है तथा रेसपांडेन्ट नंबर 6 सच्चिदानंद के मकान मय सहन को नक्शा वाद पत्र में निशानी अंक–1–2–6–5–1 से दर्शाया गया है तथा रेस्पाडेन्ट नंबर 7 मोतीचंद्र के मकान मय सहन को नशा वाद पत्र में निशानी अंक–7–8–24–23–7 से दर्शाया गया है तथा रेसपांडेन्ट नंबर– 8, 9 बिहारी व कुलदीप के मकान मय सहन को नक्शा वाद पत्र में निशानी अंक–23–24–24–25–26–23 से दर्शाया गया है। अपीलान्टगण के अवागम हेतु व मवेशियों के आवागमन व सवारियों से आवागमन व शादी विवाह के आवागमन हेतु मुख्य रास्ता है। और यदि रेस्पाडेन्टगण उक्त रास्ता में अतिक्रमण कर देंगे और उससे मिट्टी काटेंगे व उसमें निर्माण करेंगे और उसमें अवरोध पैदा करेंगे तो हम अपीलान्टगण की स्पेशल क्षति होगी। इसलिए हम अपीलान्टगण उक्त विवादित रास्ता पर अपने पर्सनल कैपेसिटी में निजी हैसियत में योजित किये हैं। विवादित रास्ता नि० अक्षर क,ख,ग आराजी नंबर– 209 रकबा 0.0360 हे0 स्थित मौजा परसिया खुर्द परगना कोपाचीट शर्की जिला–बलिया का भाग है और उक्त रास्ता नि० अक्षर– क, ख, ग रेस्पांडेन्ट नं०–7 मोतीचंद के मकान के दक्षिण दीवाल से सटकर उत्तर दक्षिण को 10 कड़ी चौड़ा जानीव पूरब पश्चिम को कायम है। तथा निशानी अक्षर– घ, ङ, च आराजी नंबर 212 रकबा 0.0240 हे0 स्थित मौजा परसिया खुर्द परगना–कोपाचीट शर्की जिला–बलिया का भाग है जो 10 कड़ी चौड़ा जानीव पूरब–पश्चिम को है और उक्त रास्ता उत्तर दक्षिण को कायम है। अपीलान्टगण विवादित रास्ता के सुरक्षित रखने व उसमें अतिक्रमण करने व उसमें मिट्टी काटने व उसमें निर्माण करने व उसमें आवागमन करने में अवरुद्ध करने से रोकने हेतु रेस्पॉडेन्टगण के पर्सनल कैपेसिटी में वाद योजित किए जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गैर न करके प्रश्नगत आदेश पारित करने में सख्त कानूनी गलती किया है। प्रार्थना पत्र 6 ग 2 स्वीकृत होने से मात्र रेस्पोंडेन्टगण पर उक्त आदेश प्रभावी होता भूमि प्रबंधक समिति तथा उत्तर प्रदेश सरकार पर उक्त आदेश प्रभावी नहीं होता है जिस पर अदालत मातहत ने गौर न फरमा कर सख्त कानूनी गलती किया है। अपीलान्टगण में भूमि प्रबंधक समिति व उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध रास्ता के संबंध में किसी प्रकार का

अनुतोष की याचना नहीं किया है। और न हम अपीलान्टगण ने भूमि प्रबंधक समिति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रास्ता को सुरक्षित रखने व उसमें मिट्टी भरित करने उसे रोकने हेतु किसी अनुतोष की याचना नहीं किया है जिसपर गौर न फरमा करके रास्ता के संबंध में 6 ग 2 खारिज करके सख्त कानूनी गलती किया है। मूल मुकदमा में प्रतिवादी नं0–7 मोतीचंद का देहाँत दिनाक–07/11/2018 ई0 को हो चूका है। जिसके वरासत की दरखास्त अधीनस्थ न्यायालय में दी गयी है अभी उसका निस्तारण नहीं हुआ है। उसके कानूनी व जायज वारिस रेस्पांडेन्ट सं०–7 ता 13 हैं। प्रश्नगत आदेश दिनांक–02.08.2018 के पारित होने बाद वादिनी सं०–2/2 केसिया देवी का देहान्त दिनांक–21.11.2018 को हो गया है जिसका वरासत प्रार्थनापत्र अधीनस्थ न्यायालय में दिया गया है, जो विचाराधीन है। प्रश्नगत आदेश के कायम रहने से हम अपीलान्टगण की आपुर्तनीय क्षति है और रेसपांडेन्टगण विवादित रास्ता के वजूद को समाप्त करने पर आमादा है।

9– अपीलार्थी द्वारा फार्म सबूत 5 ग से नकल आदेश दिनांक–02.08.2018 की प्रमाणित प्रति एवं नकल फार्मल आर्डर प्रमाणित प्रति दाखिल किया गया है।

10– अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश विधि एवं तथ्यों के अनुरूप नहीं है क्योंकि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते समय पत्रावली में दाखिल अभिलेखों का सही ढंग से परिशीलन नहीं किया गया है। यह भी तर्क दिया है कि प्रतिवादीगण सीनाजोर किस्म के व्यक्ति है। अपीलार्थीगण के अवागम हेतु व मवेशियों के आवागमन व सवारियों से आवागमन व शादी विवाह के आवागमन हेतु मुख्य रास्ता नक्शा वादपत्र में दर्शित नि० अक्षर क, ख, ग, घ, ड, च,है। उत्तरदातागण उक्त रास्ता में अतिक्रमण कर देंगे और उससे मिट्टी काटेंगे व उसमें निर्माण करेंगे और उसमें अवरोध पैदा करेंगे तो अपीलार्थीगण को क्षति होगी। रास्ते के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र 6 ग 2 अस्वीकार कर त्रुटि की है। विद्वान विचारण न्यायालय का प्रश्नगत आदेश अपास्त कर अपील स्वीकार की जाए।

11– जबकि उत्तरदातागण/विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि विवादित रास्ता सार्वजनिक रास्ता है, जिस पर मिट्टी खड़जा कायम करने हेतु प्रस्ताव ग्रामसभा, व भूमि प्रबंधक समिति विसुकिया के द्वारा किया गया है। उत्तरदाता/प्रतिवादी सं०–1 वहैसियत प्रधान सार्वजनिक हित में मिट्टी भारित व खडंजा कायम करना प्रारंभ किया तो अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा इस कार्य को बाधिक करने के उद्देश्य से मुकदमा दाखिल किया गया है। अपील खारिज की जाए।

12– पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि उभय पक्षों द्वारा यह तथ्य स्वीकार्य है कि वादपत्र में दर्शित नक्शा में नि०हि० क, ख, ग, घ, ड, च,से दर्शित रास्ता एक सार्वजनिक रास्ता है और उस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं। सरकार द्वारा उसको बनाये जाने पर कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे चूंकि रास्ता एक सार्वजनिक संपत्ति हैं और राज्य सरकार द्वारा उसका निर्माण किया जा सकता है जो आमजन के लिये सुविधापूर्ण होगा।

13– यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा मूल वाद सार्वजनिक संपत्ति (रास्ते) के बाबत दाखिल किया गया है परंतु भूमि प्रबंध समिति तथा उ०प्र० सरकार को उसमें पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि उक्त परिस्थितियों में भूमि प्रबंध समिति तथा सरकार को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

14– यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि विवादित रास्ता सार्वजनिक रास्ता है, जिस पर मिट्टी खड़जा कायम करने हेतु प्रस्ताव ग्रामसभा, व भूमि प्रबंधक समिति विसुकिया के द्वारा किया गया है और उपजिलाधिकारी बलिया के द्वारा संस्तुति किये जाने पर उत्तरदाता/प्रतिवादी सं०–1 वहैसियत प्रधान सार्वजनिक हित में मिट्टी भारित व खडंजा कायम करना प्रारंभ किया, चूंकि विवादित रास्ता एक सार्वजनिक रास्ता है और उस पर सरकार द्वारा खडंजा कायम किया जा सकता है और कोई व्यक्ति उस कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता है। उभयपक्षों द्वारा भी विवादित रास्ते को सार्वजनिक रास्ते होना स्वीकार किया गया है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह तथ्य स्थापित है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित–02.08.2018 विधि एवं तथ्यों के अनुरूप हैं। उसमें किसी प्रकार की अवैधता एवं किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। उक्त प्रश्नगत आदेश दिनांकित–02.08.2018 पुष्ट किये जाने एवं प्रकीर्ण सिविल अपील खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रकीर्ण सिविल अपील सं०–214/2018, खारिज की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र 6 ग 2 पर पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित–02.08.2018 पुष्ट किया जाता है।

विद्वान अवर न्यायालय बलिया की मूल पत्रावली, इस आदेश की एक प्रति के साथ अविलम्ब प्रति प्रेषित किया जाए।

अपीलार्थी/वादीगण नियत दिनांक–17.07.2026 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों। पत्रावली प्रकीर्ण सिविल अपील संख्या–214/2018, नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–04.07.2025

(पुनीत कुमार गुप्ता)
अपर जिला जज कोर्ट सं० 1
बलिया।

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–04.07.2025

(पुनीत कुमार गुप्ता)
अपर जिला जज कोर्ट सं० 1
बलिया।

आशुलिपिक
सौरभ